अमरा बनाम तेजा राम वगैराह
दावा क्रमांक 141/2024

डिक्री बमूकद्दमें इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

वादी — **राजस्व वाद संख्या 141/2024**

1. अमरा राम पुत्र तेजा राम जाति मेघवाल निवासी तंवरा तहसील डेह जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. तेजा राम पुत्र दुला राम
2. प्रमोद पुत्र तेजा राम
3. शारदा देवी पुत्री तेजा राम जातियान मेघवाल निवासीगण तंवरा तहसील डेह जिला नागौर
4. सरकार जरिये तहसीलदार डेह

दावा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –

1- वादी गण की ओर से श्री गोविन्दराम ढाका एडवोकेट
2- प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री रामप्रकाश बैन्दा एडवोकेट

(मुहर: सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल)

: : डिक्री आदेश : :

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बैन्दा एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :–

1. वादी संख्या 1 अमराराम व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तेजा राम एवं प्रमोद कुमार के सह हक बंट कब्जे काश्त में मौजा तंवरा का खेत खसरा नम्बर 1891 रकबा 11.3312 हैक्टेयर में से प्रत्येक के 1/3–1/3 हिस्सा रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 तेजाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा तंवरा के खेत खसरा नम्बर 188 रकबा 0.1214 हैक्टेयर गै.मु. ढाणी रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 3 शारदा के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
4. उक्त खसरान के बैक के रहन रहने कि स्थिति में रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।

आज की तारीख लीज – मुबलिक – बाबत् – खर्चा इस मुकद्दमें मय सूद व शहर – फीस सदी सालाना ख,तारीख वसूल योगो तक – को अदा करें। बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 14/08/24 को जारी किया गया

(हस्ताक्षर)
(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

(मुहर: सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल)

Scanned with CamScanner